

पत्रांक-श्रम क०सं-25/2025(अंश)-5१3
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 03 श्रमिकों को स्वामाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार रूपए) तथा दुर्घटना में मृत 03 श्रमिक के आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 6,00,000 /- (छः लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रु० 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

06 मृतकों/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आवार सं०.	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कमला देवी, उर्फ कमली देवी, 57, जगदम्बा यादव पिछड़ा वर्ग	जगदम्बा यादव (पति) 4413727 8 9498	78, 19.01.2026 340, 19.03.2026	ग्रा०-परसियॉ, पो०-बड़की फुलहरियॉ, थाना-औद्योगिक बक्सर, प्र०+जिला-बक्सर मो०-8294482642	591 990 905 68	Indian Bank, IDIB000 B896	50,000 /- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु गिलवा मिट्टी का कार्य
2	स्व० सुग्रीव गॉड, 47, विहारी गॉड, अनु० जन जाति	विन्दु देवी (पत्नी) 3773193 7 8024	233 20.02.2026	ग्रा०-चकनी, पो०-दलुपुर, थाना+प्र०-बझपुर, जिला-बक्सर मो०-9128659844	706 407 000 985 46	MBGB, PUNB0 MBGB0 6	2,00,000 /- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु कृषि मजदूरी एवं दाना भुनना
3	स्व० लालबाबु राम, 43, स्व० अम्बिका राम, अनु० जाति	रुनिया देवी (पत्नी) 4869500 3 0634	239 23.02.2026	ग्रा०+पो०-मझवारी, थाना+प्र०-सिमरी, जिला-बक्सर मो०-9234743041	381 507 986 06	SBI, SBIN00 03027	50,000 /- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु कृषि मजदूरी
4	स्व० राजेश कुमार राम, 30, नन्दू राम, अनु० जाति	धरती कुमारी (पत्नी) 6990845 7 9982	242 23.02.2026	ग्रा०-रघुनाथपुर, पो०-गासाईपुर, थाना+प्र०-राजपुर, जिला-बक्सर मो०-9334303138	433 637 909 04	SBI, SBIN00 04768	2,00,000 /- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु भवन निर्माण मजदूरी
5	स्व० मुकेश राम, 27, रामाशंकर राम, अनु० जाति	दुर्गावती देवी (माता) 3281251 5 5940	244 23.02.2026	ग्रा०-जगजीवन नगर, पो०-बक्सर, थाना-बक्सर औद्योगिक, प्र०+जिला-बक्सर मो०-9279582137	183 110 800 974 1	CANARA CNRB00 01831	2,00,000 /- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु कृषि मजदूरी
6	स्व० सूरज पासवान, 53, स्व० जगदेव पासवान, अनु० जाति	शैल कुमारी देवी (पत्नी) 4224920 0 7709	271 28.02.2026	ग्रा०-सेमरा, पो०-दलुआ, थाना+प्र०-बझपुर, जिला-बक्सर मो०-9431467558	325 146 800 08	SBI, SBIN00 02923	50,000 /- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु कृषि मजदूरी

कुल रु० 7,50,000/-

(सात लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-25/2025(अंश)-5१3 पटना, दिनांक :- २१/०४/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल रु० 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

21/04/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 21-04-2026 17:52:08
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 29-04-2026 10:12:33
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक